भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1344

(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 अगस्त, 2023 को दिया गया)

आईसीएलएस की संवर्ग समीक्षा

1344 श्री जावेद अली खानः

श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच करती है, कारपोरेट कानूनों और विनियमों को लागू करती है;

(ख) यदि हां, तो आईसीएलएस के संबंध में की गई पिछली संवर्ग समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईसीएलएस की संवर्ग समीक्षा संगठित सिविल सेवाओं के लिए संवर्ग समीक्षा के संबंध में डीओपीटी के सांविधिक अधिदेश के अनुसार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में डीओपीटी के अधिदेश का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गैर-अनुपालन के विरुद्ध किए गए / किए जाने हेतु प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जी, हां। आईसीएलएस संवर्ग कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधिदेश के अंतर्गत आता है। संवर्ग के अधिकारी कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें अधिनियम के अनुसार कंपनियों के कार्यों की जांच, निरीक्षण और अन्वेषण करना शामिल है।

(ख): पिछली संवर्ग समीक्षा वर्ष 2008 में की गई थी। संवर्ग समीक्षा में, 67 पद सृजित किए गए तथा आईसीएलएस में 07 पद समाप्त किए गए।

(ग) से (ङ): वर्ष 2008 में आईसीएलएस की अंतिम संवर्ग समीक्षा के बाद, सीएसई-2009 से आगे जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) ग्रेड में सीधी भर्ती सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से की जाती है।

आईसीएलएस की संवर्ग समीक्षा करने के लिए, मंत्रालय द्वारा एमसीए के संगठनात्मक अध्ययन के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को नियुक्त किया गया था, जिसके लिए एनपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर 02.02.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। एनपीसी ने 02.08.2019 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट के आधार पर, आईसीएलएस की संवर्ग समीक्षा का प्रस्ताव डीओपीटी को भेजा गया था।

डीओपीटी ने दिनांक 07.09.2022 के का.ज्ञा. संख्या I-11011/04/2019-सीआरडी के माध्यम से संवर्ग समीक्षा समिति (सीआरसी) द्वारा अनुशंसित संवर्ग संरचना से इस मंत्रालय को अवगत कराया है।

*****